

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 94 वीं बैठक की कार्यवाही ।

X=X=X=X=X=X=

स्थान :

-कृषि उत्पादन आयुक्त
समिति कक्षा, संखनउज ।

तिथि :

-26-5-94

समय :

-12 बजे पूर्वान्ह ५

उपस्थिति

- | | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 1- | डा० इन्द्र पाल सिंह यादव, कुलपति | = अध्यक्ष |
| 2- | पद्मश्री रानी लीला राम कुमार भार्गव | = सदस्य |
| 3- | श्री अनीश अंसारी, कृषि सचिव | = सदस्य |
| 4- | श्री अनुप मिश्र, सचिव वित्त | = प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि |
| 5- | डा० वी०डब्लू अम्बेकर, कृषि निदेशक | = सदस्य |
| 6- | डा०एस०पी०जेन, सहायक महानिदेशक ॥५०पो०डी००॥
आई०सी०ए०आर०, नई दिल्ली । | = सदस्य |
| 7- | श्री जी०एस०श्रीवास्तव, अर्थ नियंत्रक | = सचिव |

94:1 प्रबन्ध मण्डल की 14 सितम्बर, 1993 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने दिनांक 14 सितम्बर, 1993 को सम्पन्न हुई 93वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश किया कि पिछली बैठकों का कार्यवृत्त को अनुपालन आया भी प्रस्तुत किया जाय करे ।

डा० एस०पी०जेन सदस्य, प्रबन्ध मण्डल ने अवगत कराया कि उनके द्वारा डा० जे०एन०सिन्धेवा, भोपाला, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के विरुद्ध की जा रही जाँच इस कारण पूरी नहीं हो पा रही है कि उन्होंने विगत में कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से यह अनुरोध किया था कि जाँच की कार्यवाही आगे बढ़ाने हेतु एक प्रेजेन्टिंग आफिसर की नियुक्ति कर दी जाय । प्रबन्ध मण्डल का निर्देश हुआ कि इस प्रकरण पर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

94:2 इटावा जनपद में कृषि अभियंत्रण एवं टेकनालॉजी महाविद्यालय की प्रतिस्थापना करने हेतु होने वाले परिषद एवं पदों के सृजन का अनुमोदन ।

अ- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कार्यक्षेत्र इटावा परिसर में कृषि अभियंत्रण एवं टेकनालॉजी महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करने को कृपा करें ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मत से संकल्प किया कि इटावा में कृषि अभियंत्रण एवं टेकनालॉजी महाविद्यालय की स्थापना की जाय । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कालेज के खोलने के सम्बन्ध में समस्त विधिक ऽ नियम एवं परिनियम के तहत ऽ एवं प्रशासनिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी है । समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल को प्राधिकृत किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराने हेतु आपेक्षा की गयी ।

ब- प्रबन्ध मण्डल ने इस परियोजना की स्थापना हेतु 5 वर्षों में कुल प्रस्तावित अनुमानित वित्तीय व्यय रु० 39-30 करोड़ का अनुमोदन वांछित है ।

प्रबन्ध मण्डल रु० 39-30 करोड़ के परियोजना वित्तीय लागत पर सर्वसम्मत से अनुमोदन प्रदान करता है

स- परियोजना प्रस्ताव को राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन करने का कष्ट करें ।

प्रबन्ध मण्डल अपेक्षा करता है कि इस प्रस्ताव का राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु शीघ्र प्रस्तुत किया जाये ।

द- वर्ष 1994-95 से 25 छात्रों के प्रवेश से शिक्षण सत्र प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान अगले वर्ष से यह संख्या बढ़कर 50 कर दी जायेगी । अन्ततः कुल संख्या 200 छात्रों की होगी ।

प्रबन्ध मण्डल इस प्रस्ताव का यथावत अनुमोदन करता है ।

य- परियोजना हेतु पाँच वर्षों में कुल 448 पदों की आवश्यकता एवं उनका सृजन का अनुमोदन देने हुए वर्ष 1994-95 में उपरोक्त लिस्ट में प्रस्तुत 163 पदों के सृजन एवं भरने की अनुमति वर्ष 1994-95 में देने का कष्ट करें ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रकरण को वित्त उप समिति की बैठक में प्रस्तुत कर उनकी संस्तुति के साथ प्रबन्ध मण्डल के आगामी बैठक में रखा जाये ।


94:3 फरूखाबाद, मैनपुरी एवं अलीगढ़ जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापना पर विचार ।
-----5555-----

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रकरण को अगली बैठक में विचार किये जाने हेतु स्थगित किया ।


94:4 माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय अध्यापकों के द्वारा दायर की गई याचिका पर दिये गये निर्देश पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल इस प्रकरण को अगली बैठक में विचार किये जाने हेतु स्थगित किया ।

अनुमोदित


8-6-94

|| डॉ० प० क० सिंह यादव ||
कुलपति एवं अध्यक्ष,
प्रबन्ध मण्डल ।


6.6.94
|| जी०एस० श्रीवास्तव ||
अर्थ नियंत्रक